



स्टार प्रचारक एवं आदर्श आचार संहिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत निर्वाचन आयोग](#) (Election Commission of India- ECI) ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के नाम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है।

- चुनाव के समय टपिपणी करने के लिये उन्हें [आदर्श आचार संहिता](#) (Model Code of Conduct- MCC) के उल्लंघन हेतु भी फटकार लगाई गई है।

प्रमुख बट्टि:

स्टार प्रचारक:

- एक स्टार प्रचारक किसी पार्टी के लिये चुनाव में एक सेलबिरटि के तौर पर वोट मांग सकता है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक राजनीतज्ञ या यहाँ तक कि एक फलिम स्टार भी।
- स्टार प्रचारक बनाने या न बनाए जाने के संबंध में कोई कानून उपलब्ध नहीं है।
- वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति और अवधि को नरिदष्टि करके नामति कयि जाते हैं।
- ECI आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत दशिया-नरिदेश जारी करता है ताकि चुनाव अभयान को नरिंतरति कयिा जा सके।

स्टार प्रचारकों की संख्या:

- ECI द्वारा किसी मान्यता प्राप्त 'राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल' के अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामति कयि जा सकते हैं।
- एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों को नामति कर सकता है।

स्टार प्रचारकों की आवश्यकता:

- ECI चुनाव अभयान के दौरान अलग-अलग उम्मीदवारों द्वारा कयि गए खर्च पर नज़र रखता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा कयि जाने वाले खर्च की सीमा का नरिधारण नमिनलखिति प्रकार से कयिा गया है-
- **लोकसभा चुनाव के लिये-**
 - चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। भारत के बड़े राज्यों को छोटे राज्यों की तुलना में अधिक खर्च करने की अनुमति है।
 - लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है।
 - बड़े राज्यों जैसे- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक आदि में व्यय सीमा 70 लाख रुपए है।
 - छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सकिक्मि, अंडमान और नकिोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लकषद्वीप तथा पुदुचेरी में यह व्यय सीमा 54 लाख रुपए है।
 - उल्लेखनीय है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव के मामले में भी यह सीमा 70 लाख रुपए है।
- **वधियानसभा चुनाव के लिये:**
 - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े भारतीय राज्यों के वधियानसभा चुनावों में खर्च सीमा 28 लाख रुपए है। जबकि छोटे राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मज़ोरम, नगालैंड, सकिक्मि, त्रिपुरा और पुदुचेरी के लिये यह सीमा 20 लाख रुपए तय की गई है।
- स्टार प्रचारक पर कयि गए व्यय को एक उम्मीदवार के चुनाव व्यय में नहीं जोड़ा जाता है, जिससे चुनाव पर कयि जाने वाले व्यय को बढ़ाने की अधिक गुंजाइश होती है।
 - हालाँकि एक व्यक्तित्व उम्मीदवार को अभयान के खर्च से राहत पाने के लिये स्टार प्रचारक को पार्टी के सामान्य चुनाव अभयान तक सीमति करना होगा।
- जनप्रतनिधित्व अधनियम के अनुसार, यह खर्च राजनीतिक दलों द्वारा वहन कयिा जाएगा।

एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री:

- MCC दशिया-नरिदेशों के अनुसार, जब कोई प्रधानमंत्री या पूरव प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक होता है, तो बुलेट-पूरफ वाहनों सहति सुरक्षा पर होने वाला खरच सरकार द्वारा वहन कयिा जाएगा और इसे पार्टी या उम्मीदवार के चुनाव खरचों में नहीं जोड़ा जाएगा ।
- हालाँकि यदि कोई अन्य प्रचारक प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करता है, तो सुरक्षा व्यवस्था पर कयि गए खरच का 50% उम्मीदवार को वहन करना होगा ।

स्टार प्रचारक सूची से हटाने के संबंध में चुनौती:

- जनप्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 की धारा 77, जो कएक उम्मीदवार के चुनाव खरच से संबंधति है, राजनीतिक पार्टी को नेता तय करने का अधिकार देती है और हर पार्टी को अपने 'स्टार प्रचारकों' की सूची चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देती है ।
- चूँकि स्टार प्रचारकों पर खरच संबंधति उम्मीदवार के खरच में शामिल नहीं है, ECI का एक आदेश स्टार प्रचारक की स्थतिको रद्द कर सकता है ।

आदर्श आचार संहति:

- MCC चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को वनियिमति करने के लयि ECI द्वारा जारी दशिया-नरिदेशों का एक समूह है ।
- आदर्श आचार संहति (MCC) भारतीय संवधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत नरिवाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य वधानसभाओं में स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनावों की नगिरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है ।
- **प्रवर्तन की अवधि:**
 - नयिमों के मुताबकि, आदर्श आचार संहति उस तारीख से लागू हो जाती है जब नरिवाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परणाम घोषति होने की तारीख तक लागू रहती है ।
- **कानूनी स्थिति: MCC वैधानिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों से अपेक्षा की जाती है कवि चुनाव घोषणा पत्र, भाषणों और जुलूसों की सामग्री से लेकर सामान्य आचरण आदतिक के मानदंडों का पालन करें ।**
 - भारतीय दंड संहति 1860, आपराधिक प्रक्रया संहति 1973 और [जनप्रतनिधितिव अधनियिम 1951](#) (जैसी वधियों में संबंधति प्रावधानों के माध्यम से MCC के कुछ प्रावधानों को लागू कयिा जा सकता है ।
- **MCC से संबंधति अनुशंसाएँ:**
 - वर्ष 2013 में कार्मकि, लोक शकियत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समति ने MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सफारशि की अरथात् MCC को RPA 1951 का हसिसा बनाया जाएगा ।
 - वर्ष 2015 में भारतीय वधि आयोग (LCI) की रपौरट 255 में देखा गया क चूँकि MCC केवल उसी तारीख से परचालन में रहती है जसि दनि ECI चुनाव की घोषणा करता है, इसलयि सरकार चुनावों की घोषणा से पहले वजिज्ञापन जारी कर सकती है ।
 - रपौरट में सफारशि की गई क सिदन/वधानसभा की समाप्तिकी तारीख से छह महीने पहले तक सरकार द्वारा प्रायोजति वजिज्ञापनों पर प्रतबिंध लगाया जाना चाहयि ।

स्रोत- द हट्टि